

DETENTION POLICY IN CLASS V & VIII FROM 2025 ONWARDS

Subject: Implementation of the new detention policy in all AECS/JCs from the academic year 2025-26 onwards

Reference: AEES/AU/F.23/2025/852- dt. February 25, 2025

Dear Parent,

AEES has decided to implement a new detention policy for Classes V and VIII with effect from April 2025 from the academic session 2025-26 onwards. This policy has been approved by the competent authority of AEES. However, the existing detention policy for class IX remains unchanged.

This policy has reference to the amendment to Section 16 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2019.

Implementation Guidelines for AECS/JCs (for classes V & VIII):

1. Regular examinations shall be held for Classes V and VIII at the end of each academic year.
2. Students failing in these exams shall be given additional instruction and re-examination within two months.
3. If a student fails in the re-examination, the student will be detained as per AEES guidelines. - for Classes V & VIII.
4. Fee waiver for students under RTE shall continue during detention period.

It is hereby informed to the parents that this communication shall be binding on both the students and parents with effect from this academic session 25-26.



Principal

(AECS MYSURU)

2025 से कक्षा V और VIII में रोकने की नीति (डिटेंशन पॉलिसी)

विषय: अकादमिक सत्र 2025-26 से सभी AECS/JCs में नई रोकने की नीति (डिटेंशन पॉलिसी) लागू करना ।

संदर्भ: AEES/AU/F.23/2025/852- दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रिय अभिभावक,

परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था ने अकादमिक सत्र 2025-26 से अप्रैल 2025 से कक्षा V और VIII के लिए नई रोकने की नीति (डिटेंशन पॉलिसी) लागू करने का फैसला किया है। इस नीति (पॉलिसी) को परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के सक्षम अधिकार ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, क्लास IX के लिए मौजूदा रोकने की नीति (डिटेंशन पॉलिसी) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह नीति बच्चों के मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा के अधिकार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 के सेक्शन 16 में हुए बदलाव से जुड़ी है।

परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों, / जूनियर कॉलेजों (कक्षा V और VIII के लिए) के लिए कार्यान्वयन दिशानिर्देश :

1. हर अकादमिक सत्र के आखिर में कक्षा V और VIII के लिए नियमित परीक्षाएँ होगी।
2. इन परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दो महीने के अंदर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा दिया जाएगा।
3. अगर कोई विद्यार्थी पुनः परीक्षा में फेल होता है, तो उसे परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के दिशानिर्देश के मुताबिक रोक दिया जाएगा। - कक्षा V और VIII के लिए।
4. RTE के तहत विद्यार्थी के लिए फीस में छूट रोकने की अवधि के दौरान जारी रहेगी।

इसके द्वारा अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि यह सूचना शैक्षणिक सत्र 25-26 से छात्रों और अभिभावकों दोनों पर बाध्यकारी होगी।

प्रोफेसर सुनील गौतम

प्राचार्य

(परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय, मैसूर)